<u>न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)</u>

अपील संख्या 35/2017 दायरा दिनांक : 01.03.2017

उनवान

मोहनलाल आत्मज श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी भवानीमण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– राकेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र

2– श्रीमती ललिता पत्नी राकेश कुमार

अकवाम जाति प्रजापति निवासी जयपुर हाल निवासी भवानीमण्डी कोटा

3– सीताराम आत्मज भंवरलाल जाति नाथ बाबा

4– चम्पालाल आत्मज कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

5– राधा बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

6– कौशल्या बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

7– सुगन बाई विधवा कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

8– विनोद आत्मज कन्हैयालाल नाबालिग जर्ये वली माता सुगन बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति नाथ बाबा

अकवाम निवासीगण ग्राम रामठी भवानीमंडी जिला झालवाड राजस्थान

9– श्रीमती नम्रता पत्नी प्रफुल्ल जाति ब्राम्हण निवासी भवानीमण्डी झालावाड

10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड भवानीमण्डी जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रमेशचन्द सोनी एवं ए.के. जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

अपील विरूद्ध आदेश प्रारंभिक डिक्री दिनांक 03–10–2016 उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 आरटीए के अन्तर्गत निम्न कारणों से पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 141 की रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 03–10–2016 को पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भवानीमण्डी तहसील पचपहाड की जमाबंदी संख्या 259 नई 242 पुरानी में आराजी खसरा नं. 141 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के शामलाती खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 2/7 हिस्सा है। वादीगण अपने 2/7 हिस्से पर अर्थात् 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर बहैसियत मालिक व काबिज है। वादग्रस्त आराजी में उत्तरी व पश्चिमी कोने की 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी वादीगण के हिस्से की है, जिसपर वे काबिज है। वादग्रस्त आराजी शामलाती होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की आराजी में विकास करने में काफी परेशानी आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में प्राथमिक डिक्री राकेश कुमार बनाम सीताराम दावा संख्या 33/14 निर्णय दिनांक 03–10–2016 राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किये जाने से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। हमारे द्वारा उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई एवं रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2018 पृष्ठ 675 उद्धरत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन कर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त प्रारंभिक बटंवारा प्रस्ताव पर अपीलांट की उपस्थिति दर्ज नहीं है। बटंवारा प्रस्ताव मौके पर बनाना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी राजीनामे के आधार पर प्रारंभिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–10–2016 जारी की गई है, उसे हम अपास्त किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–10–2016 अपास्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–02–2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 31**.12.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा